



नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(पुराना पुलिस मुख्यालय, हयामहल के पास)

क्रमांक-एफ13 () उपा.आयो.प्रथम/ननिज./2023/ 370

दिनांक- 20-7-2023

अभिस्वीकृति (ACKNOWLEDGEMENT)

(प्रारूप-य)

मैसर्स विनायक एम्पायर होम्स
जरिये पार्टनर श्री राजकुमार, श्री नरेन्द्र कुमार
श्री सुरेश कुमार एवं राजेन्द्र कुमार खीचड
पता भू.सं. 49, गोविन्द नगर विस्तार,
गोकुलपुरा, जयपुर।

विषय:- आवेदित भूखण्ड सं. सी-4 एवं सी-5, योजना जमुना नगर, सोडाला हेतु
Empanelled Architect द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण मानचित्र
दस्तावेजों की अभिस्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित भूखण्ड सं. सी-4 एवं सी-5, योजना जमुना नगर, सोडाला, जयपुर के भवन मानचित्र स्वीकृति से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनीकविद् से अनुमोदित मानचित्र स्वीकृति एस-6 तल (कुल ऊँचाई स्टिल्ट+18.00 मी.) कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, व पंजीकृत तकनीकविद् द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार राशि व बेटरमेंट लेवी के उत्तर दिनांक चैक निगम कोष में प्राप्त कर लिए गये हैं। अतः आप द्वारा पंजीकृत तकनीकविद् से अनुमोदित मानचित्रों अनुसार भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर रीजन भवन विनियम-2020 के विनियम सं. 6(i) एवं 6(ii) के तहत भूखण्ड पर निर्माण भवन विनियमों के अनुसार ही किया जाना होगा अन्यथा भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं नगर निगम द्वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरीत निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा। स्वामित्व संबंधी कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)

उपायुक्त आयोजना (प्रथम)
नगर निगम हैरिटेज, जयपुर

For VINAYAK EMPIRE HOMES

Nakendra

PARTNER

आर्किटेक्ट द्वारा भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

पत्र क्रमांक BP/JULY-23/01

दिनांक 11-07-2023

मैसर्स विनायक एम्पायर होम्स

जरिये पार्टनर श्री राजकुमार, श्री नरेन्द्र कुमार

श्री सुरेश कुमार एवं श्री राजेन्द्र कुमार खीचड

पता - 49 गोविन्द नगर विस्तार, गोकुलपुरा, जयपुर

विषय:- भूखण्ड संख्या सी-4 एवं सी-5, योजना जमुना नगर, जयपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1244.44 वर्ग गज (1040.88 वर्ग मीटर) नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जयपुर के अन्तर्गत है कि उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या सी-4 एवं सी-5, योजना जमुना नगर, जयपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1244.44 वर्ग गज (1040.88 वर्ग मीटर) नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जयपुर के अन्तर्गत है कि उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग (आवासीय) स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमाकेशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है। प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :-
1. भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल = 1244.44 वर्ग गज (1040.88 वर्ग मीटर)
2. प्रस्तावित भवन का प्रयोजन = आवासीय
3. भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार) = 12 मीटर
4. भवन के पैरामीटर साईट प्लान/भवन विनियमों के अनुसार :-

Ar. Jitendra Sharma
Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Scheme, Jaipur (Raj)-302001
CA/2009/45195
CTP RAJ./Architects/2021/32

For VINAYAK EMPIRE HOMES

Narendra

PARTNER

क. संख्या	भवन के पैरामीटर	अनइय	प्रस्तावित
1	सेटबैक (मीटर)		
	(अ) सामने	3.00 मीटर	3.05 मीटर
	(ब) पार्श्व प्रथम	4.50 मीटर	4.60 मीटर
	(स) पार्श्व द्वितीय	4.50 मीटर	4.60 मीटर
	(द) पीछे	4.50 मीटर	4.60 मीटर
2	आच्छादित क्षेत्र	सेटबैक के अन्दर	सेटबैक के अन्दर
3.	भवन की ऊंचाई	स्टिल्ट + 18 मीटर	स्टिल्ट + 18 मीटर
4	सकल निर्मित क्षेत्रफल		4814.52 वर्गमीटर
5	बी.ए.आर क्षेत्रफल	2.0 (2081.76 वर्गमीटर)	4.0 (4167.56 वर्गमीटर)
6	कॉमन फेसीलिटी एरिया	Minimum 2% of BAR OR 50 SQM	50.00 वर्ग मीटर
7	ग्रीन एरिया	10%	10%
8	पार्किंग		
	(अ) स्टिल्ट	कार 30 स्कूटर 30	कार 30 स्कूटर 30

प्लोर एरिया का विवरण :-

S. NO	FLOOR DETAILS	GROSS BUILTUP AREA	Achieved B.A.R.
1	Stilt Floor	563.67 Sq Meter	59.96 Sq Meter
2	Ground Floor	696.69 Sq Meter	684.60 Sq Meter
3	1 st Floor	696.69 Sq Meter	684.60 Sq Meter
4	2 nd Floor	696.69 Sq Meter	684.60 Sq Meter
5	3 rd Floor	696.69 Sq Meter	684.60 Sq Meter
6	4 th Floor	696.69 Sq Meter	684.60 Sq Meter
7	5 th Floor	696.69 Sq Meter	684.60 Sq Meter
8	Mumty	26.91 Sq Meter	
	Total	4770.92 Sq Meter	4167.56 Sq Meter

- योजना प्लान में दर्शाई गई सड़क नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जयपुर की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शाए अनुसार उपलब्ध है।
- यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो संबंधित विभाग को 48 घंटे में सूचित करूंगा।
- भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के मानदंडों एवं लीज डीड की शर्तों के अनुसार किए तैयार किए गए हैं एवं विनियम की ने तो गलत व्याख्या

Ar. Jitendra Sharma
 Ar. Jitendra Sharma
 72, Sardar Patel Marg. Opp. CPWD
 Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001
 CA/2009/45196
 CTP RAJ./Architects/2021/32

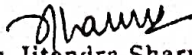
For VINAYAK EMPIRE HOMES
Narendra
 PARTNER

की गई है एवं नहीं भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छुपाया गया है। मेरी रोवा एवं देख रेख में यदि भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण मानचित्रों के अनुरूप ही निर्माण करवाया जाएगा।

4. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं / स्पष्टीकरण इत्यादि संबंधी विभाग से प्राप्त कर ली गई थी। भूखंड की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं है।
5. यदि किसी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ नहीं पाया जाये तो सम्बंधित विभाग कोई भी कार्रवाई मेरे विरुद्ध करने के लिए सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षर कर्ता को विभाग में मानचित्र पर प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को उचित कार्रवाई करने हेतु सूचित किया जा सकता है।

आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ पत्र मय अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनिमय प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने की संपूर्ण राशि को आन लाईन आरटीजीएस HDCT20230710500000043 DATED 10/07/23 को जमा योग्य राशी 673766/- नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जयपुर में जमा होने वाली सम्पूर्ण करने के उपरान्त उक्त भूखंड के आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किए जा रहे हैं।)

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र
(संख्या02.....)

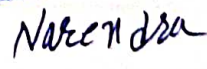

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMQ
Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2009/45196
CTP RAJ./Architects/2021/32

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

जितेन्द्र शर्मा

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

सचिव / आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, स्थानीय निकाय

For VINAYAK EMPIRE HOMES

PARTNER



सत्यमेव जयते

Government of Rajasthan

Town Planning Department

Office of the Chief Town Planner, J.L.N Marg, Opp. Birla Mandir,
Jaipur (302004), Rajasthan.

Certificate of Registration

(Under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area)
Building Regulations, 2020)

Registration No.- CTP Raj. /Architect/ 2021/32

I hereby certify that Mr./Mrs.JITENDRA...SHARMA.....
is an Architect registered under Architect's Act, 1972 by the Council of
Architecture, New Delhi (CA/2009../45196.) practicing and having
established office at....72,,SARDAR PATEL MARG,,OPPPOSITE...CPMG...
OFFICE,,C.S.SCHEME,,JAIPUR,,RAJASTHAN...302001.....
..... (Address) has been registered under
Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020.
He/she is authorised to approve building plans for all land use/s having plot
area upto 2500 sq.mt. (height up to 18.0 mt. in Large Towns & up to 15.0 mt. in
Small and medium Towns) and to issue Completion Certificate & Occupancy
Certificate for buildings constructed after following due process adhering to
regulations of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020.
This Registration No. CTP Raj. /Architect/ 2021/32 is issued under my
signature on date 19/08/2021 and is valid up to 18/08/2022.



19/08/2021
(R. K. Vijayvargia)
Chief Town Planner,
Rajasthan, Jaipur.

For VINAYAK EMPIRE HOMES
Narendra
PARTNER

Government of Rajasthan
Office of the Chief Town Planner, Jaipur, Rajasthan

File No. TPR: 9354/Proj./E.O.I./Jitendra Sharma/ 8/22

Date: 23 AUG 2022

Ar. Jitendra Sharma,
72, Sarsar Patel Marg, Opp. CPMG Office,
C-Scheme, Jaipur(Raj.)-302001.

Subject: - To Renew registration no. issued under Rule no. 20 of Model
Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2020.

Reference: - Your application date 08/08/2022.

Dear,

In reference to your application dated 08/08/2022, for renewal of registration, issued vide CTP Raj. /Architect/ 2021/32 (valid till 18/08/2022) under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2020, it is to inform that your registration no. CTP, Raj. /Architect/ 2021/32 is hereby renewed and is valid till dated 18/08/2023 (Annexure-A of renewal chart enclosed).

Enclosed: As above.

(Signature)
(Sandeep Dandwate)
Chief Town Planner,
Rajasthan, Jaipur.

For VINAYAK EMPIRE HOMES
Narendra
PARTNER

Annexure-A

Name of Registered Architect:		Jitendra Sharma
CoA Registration no. :		CA/2009/45196
Registration no. (issued by CTP, Raj.):		CTP Raj. /Architect/ 2021/32
Renewal details as below:		
Signature & seal of authorised person for renewal of registration	Date of Renewal	Renewal Valid upto
संदीप दण्डवत मुख्य निरीक्षक 31/8/2022	19.08.2022	18.08.2023

For VINAYAK EMPIRE HOMES
Narendra
PARTNER